अरावली में फार्म हाउसों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार, एमसीएफ, कॉरपोरेट की जुगलबंदी

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद: अरावली ज़ोन फ़रीदाबाद में फार्म हाउसों, बैंक्वेट हॉलों, आश्रमों, मंदिरों को बचाने के लिए कॉर्पोरेट जगत ने कई नामी वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए। कई अरब रूपये की हरियाणा वन विभाग की क़ब्ज़ाई गई ज़मीन कॉरपोरेट के क़ब्ज़े में है। ये क़ब्ज़े अकेले फ़रीदाबाद ही नहीं बल्कि गुड़गाँव, मेवात, रेवाड़ी अरावली ज़ोन में भी है। लेकिन खोरी की वजह से फ़िलहाल फ़रीदाबाद अरावली ज़ोन का मामला ज़्यादा सरगर्म है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई।

इस पूरे मामले का संक्षेप में घटनाक्रम यह है कि 7 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद नगर निगम फ़रीदाबाद और ज़िला प्रशासन से कहा कि अरावली में वन विभाग की ज़मीन पर अवैध रूप से बसे खोरी गाँव को हटाया जाए। इसके लिए डेढ़ महीने का समय दिया जाए। इसी बीच 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को जब बताया गया कि वहाँ खोरी के अलावा वन विभाग की ज़मीन पर फार्म हाउस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर और आश्रम बने हुए हैं तो अदालत ने उन्हें भी हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद वन विभाग ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर दिया। जब नोटिस देने की कार्रवाई शुरू हुई तो तमाम बड़े नाम सामने आ गए। इन्हीं नामों की सूची हरियाणा के चर्चित आईएएस अफ़सर अशोक खेमका पिछले तीन साल से माँग रहे थे लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें सूची देने में आनाकानी कर रही थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने अरावली में बने अवैध बैंक्वेट हॉलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन पर बैंक्वेट हॉल बना रखा है, वहाँ शादियाँ वग़ैरह होती हैं। वो बैंक्वेट हॉल वन क्षेत्र में नोटिफाई भी नहीं हैं। लेकिन एनजीटी ने नोटिस देकर वहाँ शादियाँ रूकवा दी हैं। अब फिर से हमें नोटिस जारी किया गया है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत का आदेश सिर्फ़ वन विभाग पर बने अवैध निर्माणों को लेकर है। अगर वो चीज़ें वन क्षेत्र में नहीं हैं तो इस कोर्ट में उनकी अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं हो सकती। वन भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हर हालत में हटना होगा।

नगर निगम फ़रीदाबाद (एमसीएफ) 23 अगस्त तक वन विभाग की ज़मीन पर सभी अवैध निर्माणों को हटाकर 25 अगस्त तक स्टेट्स रिपोर्ट पेश करे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक उन अवैध निर्माणों को गिराने पर रोक लगा दी है, जिन पर कोई स्टे वग़ैरह है लेकिन उसकी स्थिति शुक्रवार तक साफ कर दी जाए।

मंदिर- आश्रम टूटेंगे

फ़रीदाबाद: अरावली ज़ोन फ़रीदाबाद में वन विभाग की ज़मीन यानी पीएलपीए लैंड पर धर्म-कर्म के नाम पर 9 विशालकाय आश्रम, मंदिर और गौशाला बनाए गए हैं। जबकि खोरी गाँव में जो मस्जिद और चर्च बनाये गए थे, उन्हें पूरी तरह गिराया जा चुका है। वन विभाग की जितनी ज़मीन पर खोरी बसा था, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन इन 8 आश्रमों और मंदिरों ने घेर रखी है। इन आश्रमों और मंदिरों के लिए ज़मीन हरियाणा के नेताओं ने अपने-अपने कार्यकाल में लुटाया था।

इनकी सूची इस तरह है - सिद्धदाता आश्रम, राधास्वामी सत्संग, परमहंस आश्रम, जगत गुरू धाम, गोपाल गौशाला, नारायण गौशाला, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर (तिलकराज बैसला), माँगर पहाड़ी का मंदिर। कुछ ज़मीनों को मंदिर के नाम पर क़ब्ज़ाया गया लेकिन उसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है।

बैंक्वेट हॉल का धंधा

अरावली ज़ोन में सबसे पहले डिलाइट गार्डन खुला। उसकी कामयाबी देखकर बाक़ियों ने भी यहाँ बैंक्वेट हॉल खड़े कर दिए। वन विभाग की ज़मीन पर यहाँ क़रीब 30 बैंक्वेट या मैरिज हॉल हैं। इनके मालिकों ने दबंगों से यहाँ ज़मीनें ख़रीदीं। दबंगों ने इसे अपनी पुश्तैनी जायदाद बताते हुए बेचा। लेकिन बहुत सारी ज़मीनें पावर आफ अटार्नी पर हैं। बैंक्वेट हॉल मालिक ने जिससे ये ज़मीनें लीं, दरअसल वकील मुकुल रोहतगी उन्हीं को उसका मालिक कह रहे हैं। लेकिन हक़ीक़त में वो ज़मीन वन विभाग की है। जहां पीएलपीए लागू है।

खलबली मची हुई है कि कैसे और किसकी शरण में जाकर वे तोड़फोड़ के दायरे में आने से बच सकते हैं। मानव रचना के मालिक को लगता है कि अयोध्या में मंदिर की जमीन का कथित घोटाला करने वाला चंपत रॉय उनकी यूनिवर्सिटी को टूटने से बचा लेगा।

अरावली में मानव रचना इंटरनैशनल यूनिवर्सिटी, मॉडर्न विद्या निकेतन (एमवीएन) स्कूल और अरावली इंटरनैशनल स्कूल की बिल्डिंगों को जिन लोगों ने देखा होगा, उन्हें लगा होगा कि इसके मालिकों ने बड़ी मेहनत से इन इमारतों को खड़ा किया होगा। लेकिन जिस जमीन पर ये भव्य इमारतें खड़ी हैं, उन्हें गलत ढंग से कब्जाया गया है।

मानव रचना इंटरनैशनल यूनिवर्सिटी, मॉडर्न विद्या निकेतन (एमवीएन) स्कूल और अरावली इंटरनैशनल स्कूल वन विभाग हरियाणा की जमीन पर हैं, इसकी पुष्टि कुछ और तथ्यों की पड़ताल से भी होती है। जिसमें केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पक्ष स्पष्ट है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के रमेश आर्य ने 22 और 23 जनवरी 2020 को आरटीआई के तहत केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा कि क्या मंत्रालय ने इन तीनों शिक्षण संस्थानों को कोई एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) और वन क्षेत्र को अनारक्षित घोषित करने का कोई प्रमाणपत्र जारी किया है। इसके जवाब में केन्द्र सरकार के इस मंत्रालय ने 14 फरवरी 2020 को जवाब दिया कि इस तारीख तक अब तक 12 प्रस्ताव हरियाणा सरकार ने एनओसी और अनारक्षित घोषित करने के भेजे हैं। मंत्रालय ने इन 12 प्रस्तावों में से तीन पर विचार किया। लेकिन इन तीनों शिक्षण संस्थानों का जिक्र मंत्रालय की सूची में नहीं है।

मानव रचना यूनिवर्सिटी को बचाने की तैयारी

17 जुलाई 2021 को सूरजकुंड रोड पर स्थित मानव रचना इंटरनैशनल स्कूल के कन्वेन्शन हॉल में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक हुई थी जिसमें चंपत रॉय और आलोक कुमार से लेकर तमाम बड़े बड़े विहिप और संघ के पदाधिकारी आए थे। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। इस बैठक के हित मानव रचना इंटरनैशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। बैठक का पूरा खर्च मानव रचना के मालिक ने उठाया था। खोरी जब टूट रहा था, उसी दौरान यह बैठक हो रही थी।

दरअसल, खोरी पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलने के बाद तमाम शिक्षण संस्थानों और फार्म हाउस मालिकों में

क्या हुआ 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में

नई दिल्ली। अरावली के फार्म हाउसों का मामला 6 अगस्त को चीफ जस्टिजस की अदालत में जा पहुंचा। जबकि यह मामला जस्टिस खानविलकर की कोर्ट में चल रहा था। लेकिन शुक्रवार को भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की कोर्ट से कहा कि हमें कम से कम दस दिन का और समय चाहिए ताकि हम अपना पूरा जवाब दाखिल कर सकें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त की तारीख दे दी। सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही अदालत से और समय मांगने नहीं पहुंचे थे। बल्कि फार्म हाउसों के वकील भी जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगने पहुंचे थे।

पाठकों को याद दिला दें कि पिछली सुनवाई पर जस्टिस खानविलकर की अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि 23 अगस्त तक सभी अवैध निर्माण अरावली से हटा दिये जाये और 25 अगस्त को इसकी रिपोर्ट पेश की जाये। लेकिन मामला अब चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाने से लम्बा खींचने के आसार है। अदालत में शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसे फार्म हाउसों के पक्ष में माना जा रहा है। इस बीच एमसीएफ में सभी फार्म हाउसों की फाईलें खंगाली जा रही है।

बचे हुए फार्म हाउसों के नाम

मज़दूर मोर्चा के पिछले अंक में हमने अरावली में बने फार्म हाउसों की सूची छापी थी। उनमें कुछ नाम छूट गए थे। बचे हुए नाम इस प्रकार हैं-

विपुल गोयल फार्म अनखीर 10.9 एकड़
सनरॉक फार्म अनखीर 3.85 एकड़
कमलेश शर्मा सतीश पाराशर मेवलामहाराजपुर 3.26 एकड़
राजपाल उर्फ़ मामा मेवला महाराजपुर 9.49 एकड़
मन्नू फार्म हाउस अनंगपुर 1.33 एकड़
मानव रचना फार्म अनंगपुर 0.31 एकड़
डिलाइट गार्डन अनखीर 10.5 एकड़
मानव रचना यूनिवर्सिटी मेवला महाराजपुर 35.18 एकड़

विशेष उल्लेख : *इस सूची में जिस सतीश पाराशर के फार्म हाउस का जिक्र है। वह शख्स हरियाणा का चीफ टाउन प्लानर है। सतीश पाराशर नगर निगम फरीदाबाद में भी रह चुका है और उस दौरान उस पर अरावली के फार्म हाउसों का सीएलयू बदलने के आरोप है। इस मामले में तत्कालीन निगम कमिश्नर मोहम्मद शाईन की रिपोर्ट पर सतीश पाराशर को हरियाणा सरकार ने निलम्बित भी कर दिया था।*

खोरी पुनर्वास नीति पर सुप्रीम कोर्ट में एमसीएफ ने बोला सफेद झूठ

पुनर्वास नीति को हरियाणा सरकार के पास मंजूरी को भेजा

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त को खोरी पर सुनवाई के दौरान नगर निगम फ़रीदाबाद (एमसीएफ) ने जो पुनर्वास नीति पेश की, उनके लिए जल्द कदम उठाने के निर्देश अदालत ने दिए। कोर्ट ने कहा कि एक नोडल अफ़सर तैनात किया जाए, जिसका दफ़्तर राधास्वामी सत्संग सेंटर पर अस्थायी रूप से बनाया जाए, ताकि खोरी से उजाड़े गए लोग उस अफ़सर से अपनी समस्या लेकर वहीं संपर्क कर सकें।

एमसीएफ की चालाकी

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान जो पुनर्वास नीति पेश की गई, उससे उसकी कलई खुल गई। उसने वही नीति पेश की, जो वो कोर्ट में पहले भी पेश कर चुकी है। तब उसने उसे ड्राफ़्ट बताया था। इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया था कि खोरी आवास संघर्ष समिति के लोगों के सुझाव को भी उसमें शामिल किया जाए। लेकिन एमसीएफ ने खोरी से उजाड़े गए लोगों के किसी भी सुझाव को शामिल नहीं किया।

मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया की 31 जुलाई तक नगर निगम फरीदाबाद को खोरी गांव के आवास एवं पुनर्वास की पॉलिसी को नोटीफाई करना था। लेकिन मंगलवार को एमसीएफ ने कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान बताया कि उन्होंने पुनर्वास की पॉलिसी बना कर राज्य सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दी है। अभी राज्य सरकार को इस पॉलिसी को मंजूर करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। इसलिए अगली सुनवाई 25 अगस्त को रखी गई है। उसी दिन स्टेट्स रिपोर्ट पेश होगी।

आश्रय और भोजन पर फिर झूठ

खोरी से उजाड़े गए लोगों को आश्रय और भोजन मुहैया कराने पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर झूठ बोला गया।

नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि राधा स्वामी सत्संग भवन में खोरी गांव से बेदखल हुए परिवारों को पुनर्वास दिया जा रहा है किंतु सच्चाई कुछ अलग है। 1,00000 बेदखल लोगों में से 2 से ज्यादा लोगों ने राधा स्वामी सत्संग भवन में आश्रय नहीं लिया और भोजन से तड़पते हुए एक लाख लोगों में से प्रतिदिन 100 से 400 लोगों के मुंह तक ही सरकार भोजन मुहैया करवा पाई। बाकी आज भी भोजन को तरस रहे है।

मज़दूर मोर्चा के पाठकों को याद होगा कि हमने पिछले अंक में छापा था कि किस तरह खोरी के लोगों को भोजन मुहैया कराने के नाम पर फरीदाबाद पुलिस और ज़िला प्रशासन झूठ बोल रहा है। ज़िला रेडक्रास जो डीसी की देखरेख में चलता है, उस तक से भोजन मुहैया कराने के फ़र्ज़ी दावे किए गए। रेडक्रास फ़रीदाबाद को एक भी दिन खोरी में या राधास्वामी सत्संग में भोजन मुहैया कराते नहीं देखा गया।

मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य मोहम्मद सलीम ने बताया कि पुनर्वास के नाम पर जब तक खोरी से बेदखल परिवारों को घर नहीं मिलता, तब तक नगर निगम को अस्थाई रूप से ट्रांजिट कैंप में आश्रय देने की आवश्यकता है। किंतु एमसीएफ जबरदस्ती लोगों को राधा स्वामी सत्संग भवन में धकेलना चाहती है जबकि लोग राधा स्वामी सत्संग भवन में नहीं जाना चाहते।

कोई रसीद तक नहीं दे रहे

पुनर्वास के लिए दिए गए आवेदन के संबंध में मोहम्मद सलीम का कहना है कि बेदखल हुए परिवारों ने एमसीएफ में पुनर्वास हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। लेकिन नगर निगम ने बड़ी चालाकी के साथ आवेदन पत्र तो ले लिया किंतु उसकी एवज में आवेदन कर्ता को कोई रसीद नहीं दी। मज़दूर मोर्चा पहले भी लिख चुका है कि मकानों के लिए आवेदन लेने और उसकी मंज़ूरी में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की आशंका है।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाकर्ता सरीना सरकार ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी पुनर्वास संबंधी सहायता नगर निगम की ओर से नहीं दी जा रही है। उल्टा नगर निगम बेदखल परिवारों को खोरी गांव की जमीन से जबरन भगाना चाहती है जबकि समस्त बेदखल परिवार अस्थाई रूप से भी आश्रम की मांग कर रहे हैं। नगर निगम बेदखल परिवारों की मांग को अनसुना एवं अनदेखा कर रही है।

मजदूर आवास संघर्ष समिति के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया कि अब संघर्ष समिति खोरी गांव अपनी ओर से खोरी गांव के बेदखल हुए परिवारों के दस्तावेज नगर निगम कार्यालय तक पहुंचा कर पुनर्वास की मांग करेगी। जहां एक ओर खोरी से बेदखल हुए मजदूर परिवार पुनर्वास की आस लगाए बैठे हैं और काफी लंबे समय से माफिया के अत्याचार से त्रासद थे।वहीं पर फिर से कई समूह पुनर्वास के नाम पर लोगों को गुमराह कर पैसा बटोरने का धंधा चला रहे हैं।

25 अगस्त को होने वाली सुनवाई के दौरान नगर निगम कमिश्नर एवं मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पुनर्वास की पोल खोल देगी।